न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ
पीठासीनअधिकारी–श्री चावण्डदान चारण आरएएस
प्रकरण संख्या डिकी 114 सन 2016
पंजीयन दिनांक 13.4.2016
मिठुलाल पिता गोपीलाल धाकड नि.दौलतपुरा ।
–अपीलांट

विरूद्व

1.बालूराम पिता कालू धाकड नि.दौलतपुरा ।
2.राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौडगढ ।
–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ प्रकरण संख्या 42/2015 प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 1.7.2015

उपस्थित–श्री छोगालाल जाट–वकील अपीलांट
श्री पूरणमल स्वर्णकार–राज.अधि.

–0–

निर्णय दिनांक 4.2.2021

प्रकरण के तथ्य सक्षैपमें इस प्रकार हैकि वादी/रेस्पोडेन्ट ने एक वाद उपखण्डअधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–53 के अन्तर्गत मौजा भडकिया में स्थित वादी एवं प्रतिवादी सं,ख्या 1 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 35 में आराजी नम्बर 33 रकबा 0.19 हैक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत किया जो उपखण्डअधिकारी चित्तौडगढ द्वारा दिनांक 1.7.2015 को विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद स्वीकार किया गया जिसके विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

इस न्यायलयमें अपील विलम्ब से प्रस्तुत हुई है जिसके लिये धारा–5 का प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो न्यायहित में स्वीकार कियाजाकर अपील श्रवणाधिकार ग्रहण की जाती है ।

वकील अपीलांट का कथन हैकि विवादग्रस्त आराजियात के सबंध में विचारण न्यायालय में वाद पत्र विचाराधीन होकर अपीलांट प्रतिवादी के नोटीस जारी किये गये जिसमें तारीख पेशी 6.5.2015 नियत की गयी व दिनांक 6.5.2015 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक 8.7.2015 नियत की गयी व उक्त दिनांक तक अपीलांट प्रतिवादी का कोई नोटीस तामील

होकर अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं हआ है व न ही अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 1.7.2015 को नियत लोकअदालत का कोई नोटीस ही अपीलांट को तामील करवाया गया न ही अपीलांट लोक अदालत में उपस्थित हुआ एवं न ही अपीलांट की किसी प्रकार की कोई सहमति व्यक्त की फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिनाकिसी आधार के रेस्पोडेन्ट वादी का वाद पत्र प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 वक्त बहस उपस्थित नहीं एवं राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को उचित ठहराते हुयू अपील अस्वीकार करनेका अनुरोध किया गया ।

मैने उभयपक्ष के अधिवक्ताओकी बहस सुनी ओर पत्रावली का अवलोकन किया गया ।पत्रावली के अवलोकर से जाहिर है कि विवादग्रस्त आराजियात का वाद पत्र रेस्पोडेन्ट वादी ने दिनांक 11.2.2015ाको प्रस्तुत किया जो दर्ज होकर अपीलांट प्रतिवादी के सम्मन नोटीस जारी किये गये जिसमें तारीख पेशी दिनांक 6.5.2015 नियत की गयी एवं दिनांक 6.5.2015 को पीठासीनअधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक 8.7.2015 नियत की गयी एवं उक्त दिनांक तक अपीलांट प्रतिवादी का कोई नोटीस तामील होकर अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं हुआ न ही अधीनस्थ न्यायालय ने लोकअदालत का कोई नोटीस ही अपीलांट को तामील करवाया गया है ।अधीनस्थ न्यायलय द्वारा प्रतिववादी को सुने बिना ही लोक अदालत में प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गयी जो अवैधानिक है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 1.7.2015 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह दोनो पक्षो को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान किया जाकर साक्ष्य व सबूतो के आधार पर निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 4.2.2021 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ